*तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1967

(1967 का तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 3)

[10 अप्रैल,1967]

राज्य विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पदों के धारकों को निरर्हित न होना घोषित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठारहवें वर्ष में *तमिलनाडु के विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-
–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम *तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1967 है ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1964 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. कतिपय लाभ के पद निरर्हित नहीं करेंगे---यह घोषित किया जाता है कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए उसके धारक को निरर्हित न करेगा या कभी भी निरर्ह किया हुआ न समझा जाएगा## ।

3. 1951 के *तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 20 का संशोधन---*तमिलनाडु वेतन संदाय और निरर्हताओं का हटाना अधिनियम 1951 (1951 का *तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 20) में,---

(1) वृहत् नाम में से "और कतिपय निरर्हताओं को हटाने के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(2) उद्देशिका के दूसरे पैरा का लोप किया जाएगा ;

(3) धारा 1 में से "और निरर्हताओं का हटाना" शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

(4) धारा 11 का लोप किया जाएगा ।

4. 1963 के *तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 3 की धारा 17 का संशोधन---*तमिलनाडु होमगार्ड अधिनियम, 1953 (1953 के *तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 17 में :---

(1) उपधारा 1 का लोप किया जाएगा ; और

(2) कोष्ठक और अंक "(2)" जो धारा 2 के प्रारंभ में आते हैं का, लोप किया जाएगा ।

5. 1966 के मद्रास अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन---मद्रास विधान-मंडल (निरर्हताओं का हटाया जाना) अध्यादेश, 1966 (1966 के मद्रास अध्यादेश 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. संघ या किसी राज्य के राज्यमंत्री या उपमंत्री का पद ।
2. मुख्य सरकारी सचेतक, उप मुख्य सरकारी सचेतक, सरकारी सचेतक या संसदीय सचिव का पद ।
3. मद्रास नगर के शैरिफ का पद ।

---

* तमिलनाडु विधि अनुकूलन आदेश, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित ।

तमिलनाडु विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम 40) द्वारा तमिलनाडु विधान परिषद् के उत्सादन के परिणामस्वरूप तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 में "या विधान परिषद् के" पद का, तमिलनाडु विधि अनुकूलन आदेश, 1987 द्वारा लोप किया गया (तमिलनाडु सरकार राजपत्र सं0 654, भाग 4, खंड 2, तारीख 28-10-1987) ।

4. सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत से बाहर भेजे गए किसी प्रतिनिधिमंडल या मिशन के सदस्य का पद ।

5. लोक महत्व के किसी विषय के संबंध में या उसकी जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी विषय के संबंध में सांख्यिकी एकत्रित करने के लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए अस्थाई रूप से बनाई गई किसी समिति के (जो मद 11 में विनिर्दिष्ट निकाय न हो) सदस्य का पद ।

6. राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 31), प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 56) या रिजर्व और सहायक वायुसेना अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 62) के अधीन बनाई गई या पोषित किसी सेना के सदस्य का पद ।

7. किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद ।

[1]7क. जिला विकास परिषद के सदस्य का पद ।

8. सरकार द्वारा पोषित किसी अस्पताल में अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी या सहायक चिकित्सा अधिकारी का पद ।

9. केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या संघ या राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के लिए परीक्षक या सहायक परीक्षक का पद ।

10. निम्नलिखित के निदेशक का पद ---

[2](1) लोप किया गया ।
[2](2) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड ।
[3](2) (क) तमिलनाडु हैंडिक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
[4](2) (ख) तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस इकोनोमिक डेवलपमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड ।
[2](3) लोप किया गया ।

11. निम्नलिखित के अध्यक्ष, [5][उपाध्यक्ष], सदस्य या सचिव का पद ---

(1) एडवाइजरी कमेटी फार ए रूरल एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर ;
(2) एडवाइजरी कमेटी फार आयरन एंड स्टील अंडर एग्रीकल्चरल कोटा एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लिमेंटस ;
(3) बोर्ड आफ एक्जामिनर फार सिनेमा आपरेटर ;
(4) बोर्ड आफ विजीटर अंडर रूल 41 आफ दि सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्राफिक इन वुमन एंड गर्लस[6] (तमिलनाडु) रूल्स, 1958 ;
(5) कमेटी फार दि सेलेक्शन आफ औक्जिलियरी नर्स मीडवाइफ पुपील्स ;
(6) कमेटी फार दि सेलेक्शन आफ नर्स पुपील्स ;
(7) फोरेज रिसोर्सेस बोर्ड ;
[7](8) तमिलनाडु स्टेट फिल्म एडवाइजरी बोर्ड ;
(9) मैनेजिंग कमेटीज फार दि आफटरकेयर होम्स ऐट मद्रास एंड वैलोर ;
(10) स्टेट एग्रीकल्चरल एडवाइजरी कमेटी ;
(11) स्टेट कम्पेन कमेटी फार फ्रिडम फ्राम हंगर ;
(12) स्टेट कमेटी आन इमप्लाएमेंट ;

---

[1] तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] तमिलनाडु (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम सं0 53) द्वारा लोप किया गया ।
[3] तमिलनाडु (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम सं0 53) द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का तमिलनाडु अधिनियम सं0 26) द्वारा मद 10 की उपमद (2ख) अंतःस्थापित ।
[5] तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1989 (1989 का तमिलनाडु अधिनियम सं0 12) द्वारा अंतःस्थापित ।
[6] तमिलनाडु विधि अनुकूलन (दूसरा संशोधन) आदेश, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] तमिलनाडु विधि अनुकूलन आदेश, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(13) स्टेट लेवल को-आरडीनेशन कमेटी आन ट्रेनिंग ;

(14) स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड ;

(15) एलोकेशन कमेटी अंडर दी इम्प्लाइज स्टेट इनश्योरेंस (मेडिकल बेनिफिट) पैनल सिस्टम रूल्स,1954 ;

(16) बोर्ड आफ एक्जामिनेशनस +तमिलनाडु ;

(17) बोर्ड आफ स्टडीज टु रिव्यू दि एक्जिसटिंग सिलेबी एंड करीकुला फार दि वेरियस कोर्सेस कंडक्टेड इन दी पोलिटेकनिकस एंड टु सजेस्ट सुटेबल मोडिफिकेशनस ;

(18) ग्रेटर मद्रास रोड डेवलपमेंट एंड ट्राफिक प्लानिंग कमेटी ;

(19) मद्रास सिटी रोड डेवलपमेंट एंड ट्राफिक प्लानिंग कमेटी ;

(20) +तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट एंड ट्राफिक प्लानिंग कमेटी ;

(21) मेडिकल सर्विस कमेटी ;

(22) प्रोजेक्ट लेवल कमेटीस फार रूरल इंडस्ट्रिज ऐट नांगुनेरी, ओमालूर एंड श्रीपेरंम्पुदूर ;

(23) स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी फार रूरल इन्डस्ट्रीज ;

(24) वेनलाक डाउन्स एडवाइजरी कमेटी ;

(25) इंसपेक्सन कमेटी, +तमिलनाडु ;

(26) *तमिलनाडु खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड ऐक्ट, 1959 (1969 का *तमिलनाडु अधिनियम 18) के अधीन स्थापित तमिलनाडु खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड ;

(27) +तमिलनाडु स्टेट हाऊसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1961 (1961 का *तमिलनाडु अधिनियम 17) के अधीन गठित तमिलनाडु हाऊसिंग बोर्ड ;

(28) @@ लोप किया गया ।

[1](29) पंचायत डेवलपमेंट कंसलटेटिव कमेटी आन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्कस, प्रोडक्सन प्रोग्रामस एंड वेलफेयर सर्विसेज प्रोग्राम्स ;

(30) स्टेट कॉटन कमेटी ;

(31) ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्टस बोर्ड ;

(32) सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी फार कंज्युमर को-आपरेटिव्स ;

(33) सेंट्रल कमेटी आन इम्प्लाएमेंट ;

(34) सेंट्रल पॉल्ट्री डेवलपमेंट एडवाइजरी कौंसिल ;

+ तमिलनाडु विधि अनुकूलन आदेश, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित ।

* तमिलनाडु विधि अनुकूलन आदेश, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित ।

@@ तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1983 (1983 का तमिलनाडु अधिनियम सं0 5) द्वारा लोप किया गया ।

1 तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा प्रविष्टि (29) से (58) अंतःस्थापित की गई ।

(35) कोल डेवलपमेंट कौंसिल ;

(36) कमेटी आन अनटचेविलिटि, इकोनोमिक अपलिफ्ट एंड एजूकेशनल डवलेपमेन्ट आफ शिड्यूल कास्ट्स ;

(37) कोर्ट आफ दी फौरेस्ट रिसर्च इंस्टिच्यूट एंड कालेजेज, देहरादून ;

(38) एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन ;

(39) एक्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी फार बुक्स एंड पीरिओडिकल्स ;

(40) फिल्म एक्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी ;

(41) खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज कमेटी ;

(42) इंडियन कोकोनट डेवलपमेंट कौंसिल ;

(43) इंडियन सूगरकेन डेवलपमेंट कौंसिल ;

(44) मेडिकल बेनिफिट कौंसिल आफ दी इम्प्लाइज स्टेट इनश्योरेंस कारपोरेशन ;

(45) मेंटल हेल्थ एडवाइजरी कमेटी ;

(46) नेशनल कमेटी फार इंटरनेशनल कांसिल आफ सांइटिफिक यूनियनस ;

(47) नेशनल कमेटी आन ट्रेनिंग इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ;

(48) नेशनल कमीशन आन लेबर ;

(49) नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन लाएजन कमेटी ;

(50) नेशनल स्कूल हेल्थ कौंसिल ;

(51) पैनल फार एयर - कंडिशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री ;

(52) रेलवे कैटरिंग एंड पैसेंजर एमिनिटिज कमेटी ;

(53) स्माल स्केल इंडस्ट्रिज (आफिशियल लेवल) कमेटी ;

(54) स्टेट एडवाइजरी कमेटी फार दी टेरिटोरियल आर्मी इन दिल्ली ;

(55) स्टैंडिंग टेकनिकल कमेटी ;

(56) स्टेट एडवाइजरी कमेटी फार दी टेरिटोरियल आर्मी इन दी स्टेट आफ बिहार ;

(57) सेलेक्सन कमेटिज फार दी मेरीन फिसरिज ट्रेनिंग सेन्टर ऐट कोलाचल, तुतिकोरिन, मंडपम, नागापत्नम, कुडालोर, मेत्तुर एंड मद्रास ;

(58) तमिलनाडु एग्रो-इन्डस्ट्रिज कारपोरेशन ;

*(59) तमिलनाडु स्टेट बोर्ड फार साल्ट एंड एलाइड केमिकल्स ;

*(60) कोआपरेटिव स्पिनिंग मिलों में उत्पादित सूत की एक्स मिल और एक्स डिपो कीमतें तय करने के लिए उप समिति ;

*(61) स्टेट एडवाइजरी कमेटी फार लेवल को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स ;

*(62) कमेटी फार सिलेक्टिंग ड्रामा स्क्रीप्टस एंड ट्रूप्स आन फैमिलीप्लानिंग ;

***(63) स्टेट वक्फ बोर्ड ;

(64) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय संख्यांक 11) की धारा 5 के अधीन नियुक्त मिनिमम वेजेज एडवाइजरी कमेटी फार एम्प्लाएमेंट इन वैरियस ट्रेडस ;

(65) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय संख्यांक 11) की धारा 7 के अधीन नियुक्त मिनिमम वेजेज (स्टेट) एडवाइजरी बोर्ड ;

(66) प्रेस ऐक्रेडीटेशन कमेटी ;

(67) स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी फार को-औपरेटिव शूगर मिल्स ;

(68) स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड ;

(69) तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ;

(70) तमिलनाडु स्टेट ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड ;

(71) जी.ओ.एम्स संख्या 3078 समाज कल्याण विभाग, दिनांक 13 दिसम्बर, 1982 द्वारा गठित दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ;

(72) स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फार नेशनल सेविंग्स ;

(73) स्टेट इंडस्ट्रिज प्रोमोशन कारपोरेशन आफ तमिलनाडु लिमिटेड ;

(74) तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्रिज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ;

(75) तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ;

(76) तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्रिज कारपोरेशन लिमिटेड ;

(77) तमिलनाडु टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड ;

(78) तमिलनाडु सेरामिक्स लिमिटेड ;

(79) तमिलनाडु हैंडलूम फिनान्स एंड ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड ;

(80) तमिलनाडु थिएटर कारपोरेशन लिमिटेड ;

---

* तमिलनाडु (निरर्हता-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम सं0 53) द्वारा अंतःस्थापित ।

*** तमिलनाडु विधान-मंडल (निर्रहता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1983 (1983 का तमिलनाडु अधिनियम सं0 5) द्वारा प्रविष्टि (63) से (86) अंतःस्थापित की गईं ।

(81) तमिलनाडु फॉरेस्ट प्लांटेशन कारपोरेशन लिमिटेड ;

(82) तमिलनाडु टी प्लांटेशन कारपोरेशन लिमिटेड ;

(83) तमिलनाडु डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ;

(84) तमिलनाडु सूगरकेन फार्म कारपोरेशन लिमिटेड ;

(85) तमिलनाडु हरिजन हाऊसिंग एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ;

(86) तमिलनाडु एग्रो - इंजीनियरिंग एंड सर्विस को-औपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ;

[%](87) स्टेट औग्रेनाइजिंग कमेटी फार नेहरू युवक केन्द्र ।

% तमिलनाडु विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का तमिलनाडु अधिनियम सं0 26) द्वारा मद (11) की उपमद (87) अंतःस्थापित ।